

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

म. अ. नं. १२५

12.02.25

जमाना यह पञ्जाबी पं. १३३
वक्तव्य पत्र मारान उक्त वादी के वकील
दादा वादी मोट प्रेस किमा गया है।
वादी के वकील राजे को कोर्ट छोड़ने नहीं
चलाना चाहते हैं।

Not Proven

अतः दादा वादी Not Proven में उनी
कोर्ट में खारिज किमा गया है।
पञ्जाबी फौजदारी मुकदमा के अन्तर्गत
कम से कम वक्तव्य जमाना शक्तिम तपराये

de
राजेश चन्द्र भोपा
अध्यक्ष अधिकारी
भुसावण (अहमदनगर)

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]